न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, सिवान
उपस्थितः– उमेश मणि त्रिपाठी
A.B.P. No.-681/2026
मनु यादव उर्फ चरण यादव एवं अन्य बनाम् बिहार सरकार
[असांव थाना कांड संख्या 39/2026]
आदेश

16.05.2026 आवेदकगण/अभियुक्तगण **1. मनु यादव उर्फ चरण यादव, 2. धीरज यादव, 3. गुलशन यादव, 4. बादशाह यादव एवं 5. विष्णु यादव** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन सं0 681/2026, असांव थाना कांड संख्या 39/2026, अंतर्गत धारा 126(2), 115(2), 117(2), 74, 352, 351(2)/3(5) भारतीय न्याय संहिता पर आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता श्री अरूण कुमार पाण्डेय एवं विपक्षी विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री रघुवर सिंह को सुना।

संक्षेप में अभियोजन का कथन यह है कि 23.02.2026 को सूचिका के घर के सामने कटवार निवासी मनु यादव उर्फ चरण यादव, सुजीत यादव, धीरज यादव, गुलशन यादव, बादशाह यादव, विष्णु यादव, पंकज यादव, गुड्डू यादव एवं आदित्य यादव सभी लोग घर के सामने सड़क पर खड़ा होकर नशे के धुत में अपशब्द गाली–गलौज कर रहे थे। सूचिका गाली सुनकर जब घर से बाहर निकली तो इन लोगों को सूचिका इतना शब्द बोली कि भाई बाबू हमारे घर में लड़की, बहु है। आप लोग यहां से हट कर कहीं दूसरी जगह जा कर गाली–गलौज करो। इतने पर सूचिका की बात सुनकर सूचिका की झोपड़ी में से बम्बु निकाल कर मारने लगे। विवाद और बढ़ने लगा। तब वे लोग सूचिका का विरोध करने पर सूचिका एवं उसकी बहु के साथ छेडखानी करने लगे। जब सूचिका शोरगुल किए तो कुछ ग्रामीण लोगों के आने के बाद ईंट–पत्थर, लाठी–डंडा से मारपीट कर के भाग चले। जिसमें सूचिका का एक हाथ टूट गया और एक हाथ में काफी चोट आया और सूचिका की लड़की के साथ भी मारपीट किया गया।

आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि सूचिका प्रतिमा देवी के द्वारा यह झूठा मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। आवेदकगण की ओर से कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन कभी भी विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवान या माननीय उच्च न्यायालय पटना के समक्ष दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक बादशाह यादव के खिलाफ पूर्व से एक मामला पंजीकृत है एवं आवेदक विष्णु यादव के खिलाफ पूर्व से दो मामले पंजीकृत है और अन्य अभियुक्तगण के खिलाफ इस मामला के अलावा अन्य कोई मामला पंजीकृत नहीं है। प्रस्तुत मामले का पलटवाद असांव थाना कांड संख्या 37/2026 पंजीकृत है। प्रस्तुत मामले में आवेदकगण के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 के तहत मामला नहीं बनता है और आवेदकगण के खिलाफ लगाया गया सभी आरोप सामान्य और अस्पष्ट है एवं दबाव के चलते यह मामला आवेदकगण के खिलाफ पंजीकृत कराया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण मामले की जांच और सुनवाई में अपना पूर्ण सहयोग देने का वचन देते हैं। अतः उनके द्वारा आवेदकगण/अभियुक्तगण को जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की गई।

विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री रघुवर सिंह के द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए अपने तर्क में यह कहा है कि आवेदकगण द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का अपराध है। अतः अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज किया जाय।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में प्राथमिकी असांव थाना कांड संख्या

न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, सिवान
<u>उपस्थितः– उमेश मणि त्रिपाठी</u>
<u>A.B.P. No.-681/2026</u>
मनु यादव उर्फ चरण यादव एवं अन्य बनाम् बिहार सरकार
[असांव थाना कांड संख्या 39/2026]

<u>16.05.2026</u>

लगातार

39/2026, अंतर्गत धारा 126(2), 115(2), 117(2), 74, 352, 351(2)/3(5) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत आवेदकगण के विरूद्ध पंजीकृत कराई गई है। आवेदकगण के विरूद्ध अन्य सह–अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचिका एवं उसके परिवार के सदस्यों के साथ छेड़खानी करने, ईंट–पत्थर एवं लाठी–डंडा से मारपीट कर जख्म कारित करने का विशिष्ट आरोप लगाया गया है। कांड दैनिकी की कंडिका संख्या 4 एवं 5 में साक्षियों का बयान अंकित है जिसमें उन्होंने घटना का समर्थन किया है। कांड दैनिकी के साथ जख्मी का जख्म प्रतिवेदन संलग्न है जिसमें चिकित्सक के द्वारा सूचिका के बाएं हाथ में फ्रैक्चर पाया गया है जो शरीर के प्रति गंभीर प्रकृति का जख्म है। कांड दैनिकी की कंडिका संख्या 24 के अनुसार आवेदक विष्णु यादव के खिलाफ पूर्व से एक मामला पंजीकृत है जबकि जमानत आवेदन के अनुसार पूर्व से 2 मामले पंजीकृत है एवं अन्य अभियुक्तगण के खिलाफ इस मामला के अलावा अन्य कोई मामला पंजीकृत नहीं है जबकि जमानत आवेदन के अनुसार आवेदक बादशाह यादव के खिलाफ पूर्व से एक मामला पंजीकृत है। आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का अपराध है। आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध की प्रकृति एवं कारित जख्म की प्रकृति एवं उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आवेदकगण/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः आवेदकगण/अभियुक्तगण **1. मनु यादव उर्फ चरण यादव, 2. धीरज यादव, 3. गुलशन यादव, 4. बादशाह यादव एवं 5. विष्णु यादव** के तरफ से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन दिनांक 12.03.2026 को उपरोक्त के आलोक में **खारिज** किया जाता है।

लेखापित
ह0/–
(उमेश मणि त्रिपाठी)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय,
सिवान।
दिनांक 16.05.2026

Date of Order/Judgment	16.05.2026
Date of Reserving Order/Judgment	16.05.2026
Uploading Date	19.05.2026
Uploaded By	RAVI KANT